प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी की सपत्ति छिपाने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी की सपत्ति छिपाने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.05.2021 को वादी उ0नि0 प्रशान्त कुमार द्विवेदी द्वारा थाना कोतवाली पर साजिद पुत्र रफीक मंसूरी द्वारा चोरी की 03 मोटर साइकिल छिपाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी । जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 239/21 धारा 413/414/420** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 राजीव कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 15.07.2024 को अन्तर्गत धारा 414 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ -9 इटावा द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **साजिद पुत्र रफीक मंसूरी निवासी मेवाती टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा ।**